झारखंड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

[redacted]

रांची, दिनांक– 30 मार्च, 2006

संख्या– 7/भा०स०प०–17–05/2005 (खंड) का० 1675 **/सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–15 (1) एवं (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार झारखंड राज्य सूचना आयोग का, इस अधिनियम के अधीन उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और उसे सौंपे गये कृत्यों का पालन करने के निमित्त, गठन करती है, जिसका मुख्यालय "रांची" में अवस्थित होगा ।**

आदेश :– **आदेश दिया जाता है कि सर्व साधारण की जानकारी के लिए इसे झारखंड राज्य के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।**

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

(मुख्त्यार सिंह),
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7/भा०स०प०–17–05/2005 (खंड) का० 1675 **/ रांची, दिनांक– 30 मार्च, 2006**

प्रतिलिपि– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखंड, रांची को झारखंड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि इस अधिसूचना की 200 (दो सौ) प्रतियाँ मुद्रित कर कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (प्रशाखा–7) को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांक–7/भा०स०प०–17–05/2005 (खंड) का० 1675 **/ रांची, दिनांक– 30 मार्च, 2006**

प्रतिलिपि– महालेखाकार, झारखंड, रांची/ सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्यमंत्री सचिवालय/राज्यपाल सचिवालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/झारखंड विधान सभा, रांची/झारखंड लोक सेवा आयोग, रांची/निबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, रांची/झारखंड राज्य के अंतर्गत सभी विश्वविद्यालय के कुलपति/सभी बोर्ड/निकाय/उपक्रम/सभी गैर सरकारी संस्थाएँ को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।